



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

राजस्त्रकरण एवं स्टाम्प विभाग

ਪੰਜੀਧਨ ਪ੍ਰਮਾਣਪત੍ਰ

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP179092023A11351920
पंजीकरण की तिथि	11/01/2023
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	11/01/2023
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	1074480
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रेमियम राशि (रुपये)	1075000
पंजीयन शुल्क (रुपये)	32235
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	69853
उप पंजीयक का नाम	SAVITRI DHONI
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर ।

विश्वेता - स्वयं

संगठन का नाम
अधिकृत व्यक्ति का नाम
पता


ओयस्टर बिल्डिंग इंडिया प्रा.लि.
श्री योगेश गढवाल
201, स्टारलिट टॉवर, 29, क्वाय.एन.रोड, इंदौर (म.प्र.) इंदौर मध्य प्रदेश भारत

खरीदार- स्वयं

नाम	श्री अरूण अग्रवाल
पिता/पति का नाम	श्री श्रीकृष्ण जी अग्रवाल
पता	9/12-ए, दिल्लीसंसद कोठी, डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.), इन्दौर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by SAVITRI
DHAUNILARD
Date: 2023.01.11
19:39:05 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

ग्राम पंचायत क्षेत्र ग्राम बिहाड़िया तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) के अन्तर्गत “ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)” में स्थित भूखण्ड क्रमांक 05 जिसका कुल क्षेत्रफल 148 वर्गमीटर याने 1593 वर्गफीट है, का विक्रय-लेख।

विक्रेतापक्ष – ओयस्टर बिल्डिंग इडिया प्रा.लि. (PAN No. AABCO2386H)
पता – 201, स्टारलिट टॉवर, 29, व्हाय.एन.रोड, इन्दौर (म.प्र.)
तरफे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता – श्री योगेश गढवाल पिता स्व. श्री गुलाब सिंह गढवाल,
निवासी – 137/250, बडी गवाल टोली, गीता भवन मंदिर के पास, श्रीराम मंदिर, इन्दौर (म.प्र.)

----- विक्रेतापक्ष

जिन्हे इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से विक्रेतापक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, असायनीज, मुख्यायर एवं विक्रेतापक्ष के अन्तर्गत हित, अधिकार व दावा रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।)

क्रेतापक्ष – श्री अरुण अग्रवाल पिता श्री श्रीकृष्ण जी अग्रवाल, (PAN No. AGNPA8540J)
निवासी – 9/12-ए, दिलपंसद कोठी, डॉ. रोशनसिंह भण्डारी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)

----- क्रेतापक्ष

जिन्हे इस लेख में आगे सुविधा की दृष्टि से क्रेतापक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिसमें उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, प्रशासक, असायनीज, मुख्यायर एवं क्रेतापक्ष के अन्तर्गत हित, अधिकार व दावा रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।)

विक्रेतापक्ष यह विक्रय-लेख क्रेतापक्ष के हित में निम्न शर्तों एवं दायित्वों के अधीन निम्नानुसार निष्पादित कर देते हैं कि:-

(1) यह कि, विक्रेतापक्ष की भूमि स्वामी, स्वत्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम बिहाड़िया (प.ह.न. 28 नया 62) तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) के सर्वे नंबर 79/1 रकबा 1.719 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 80 रकबा 1.509 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 79/2 रकबा 1.078 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 81 पैकी रकबा 1.364 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 82/1/1 रकबा 0.591 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 81 पैकी रकबा 2.100 हेक्टर इस प्रकार कुल सर्वे नंग 06 का कुल संयुक्त रकबा 8.361 हेक्टर की स्थित है। उक्त वर्णित भूमि विक्रेतापक्ष ने जरिये दो अलग-अलग ई-पंजीकृत विक्रय-पत्र क्रमांक एमपी179092015ए1152559 दिनांक 06/11/2015 एवं ई-पंजीकृत विक्रय-पत्र क्रमांक एमपी179092018ए1250215 दिनांक 12/04/2018 के जरिये 1. श्रीमती गीताबाई पति स्व. श्री उमरावसिंह जी राठौर, 2. श्री जसवंतसिंह पिता स्व. श्री उमरावसिंह जी राठौर, 3. श्री रामसिंह उर्फ रामलाल पिता स्व. श्री उमरावसिंह राठौर, 4. श्री श्यामसिंह उर्फ श्यामलाल पिता स्व. श्री उमरावसिंह जी राठौर, 5. श्रीमती कमलाबाई पति स्व. श्री राजेश राठौर, 6. श्री विक्रम पिता स्व. श्री राजेश राठौर, 7. श्री पंकज पिता स्व. श्री राजेश राठौर सभी निवासी – ग्राम तिल्लौर खुर्द तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) से क्रय की हुई है। उक्त वर्णित भूमि विक्रेतापक्ष की स्वतंत्र मालकी व कब्जे की होकर रेवेन्यू रेकार्ड में





Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

विक्रेतापक्ष के नाम पर दर्ज है। विक्रेतापक्ष की भू-अधिकार क्रृण-पुस्तिका एल क्रमांक आईएन 26282 एवं
एल क्रमांक आईएन 018739 है।

इस प्रकार विक्रेतापक्ष ने उपरोक्त वर्णित सर्वे क्रमांको की भूमियों को पंजीकृत विक्रयपत्रों के जरिये क्रय की होकर विक्रेतापक्ष सदर भूमि के स्वतंत्र मालिक, स्वामी, अधिपति, आधिपत्यधारी, कब्जेधारी है एवं सदर भूमि रेवेन्यू रेकार्ड व अन्य रेकार्ड में विक्रेतापक्ष के नाम पर मालिक स्वामी अधिपति नाते से टर्ज है। उक्त विक्रयपत्रों के जरिये क्रय की गई भूमि जिनका कुल संयुक्त रकमा 8.361 हेक्टर भूमि पर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश विभाग इन्दौर द्वारा स्वीकृत अभिन्यास के उपरोक्त वर्णित भूमि पर विक्रेतापक्ष द्वारा निम्न वर्णित सभी कानूनी कार्यवाही पूर्ण कर वैध रूप से आवासीय कालोनी ‘‘ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)’’ का निर्माण किया जा रहा है।

(2) कालोनी हेतु विक्रेतापक्ष ने निम्नानुसार अनुमति व स्वीकृति प्राप्त की हई है:-

(ए) कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के द्वारा उपरोक्त वर्षित सर्वे नंबरों की भूमि पर आवासीय कालोनी विकसित किए जाने हेतु अपनी अनापत्ति प्रदान की गई होकर कालोनी का अधिन्यास मेमो क्रमांक 10845/एस.पी./एम-170/18/नग्रानि/2018 इन्दौर दिनांक 29/12/2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(बी) न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व इन्टौर (अनुभाग बिचौली हप्सी) (प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक-3) द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ-2/18-19 में पारित आदेश दिनांक 18/02/2019 के द्वारा उपरोक्त वर्णित सर्वे नंबरों की भूमि पर आवासीय कालोनी निर्माण हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन आदेश पारित किया हआ है।

(सी)कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर से म.प्र. पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम बिहाड़िया तहसील भिचोली हप्सी जिला इन्दौर में कालोनी विकास अनुज्ञा क्रमांक - 57/अ.क.री./2020 दिनांक 19/11/2020 प्र.क्र. 15/अ-74/2020-21 के अनुसार एवं कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (लायसेन्स) दिनांक 13/08/2019, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 55/2019, प्र.क्रं 83/बी-121/2019-20 के जरिये मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के उपबंधों के अधीन प्रदान किया गया है।

(डी)सदर कालोनी के संबंध में भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा जारी किया गया पंजीकरण संख्या पी-आईपीडी-20-2820 एपड टिनंक 14/12/2020 है।

(3) यह कि, उपरोक्तानुसार विक्रेतापक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित सर्वे क्रमांको की भूमि के संबंध में कालोनी की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यवाही पूर्ण करके वैध आवासीय कालोनी “ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)” का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार विक्रेतापक्ष द्वारा उक्त कालोनी के निम्न वर्णित भखण्ड का





Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

विक्रय क्रेतापक्ष को किया जा रहा है।

(4) ग्राम बिहाड़िया तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) के उपरोक्त वर्णित सर्वे क्रमांको की भूमि पर विधिवत् अनुमतियाँ प्राप्त कर विकसित की जा रही आवासीय कालोनी “ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)” का आवासीय भूखण्ड क्रमांक 05 विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को विक्रय किया है। बिक्रीत भूखण्ड की साईज 9.25 मीटर बाय 16 मीटर होकर कुल क्षेत्रफल 148 वर्गमीटर याने 1593 वर्गफीट है। इस भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। यह भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में स्थित होकर आवासीय उपयोग का है। इस भूखण्ड के निकास की स्वतंत्र व्यवस्था सामने की दिशा में स्थित कॉलोनी के रोड से होकर है।

बिक्रीत भूखण्ड की चतुर्सीमा निम्नानुसार है:-

पूर्व में-भूखण्ड क्रमांक 84

पश्चिम में-कॉलोनी की रोड

उत्तर में -भूखण्ड क्रमांक 04

दक्षिण में-कॉलोनी की रोड

(5) यह कि, उक्त चरण क्रमांक चार में वर्णित एवं चतुर्सीमा के मध्य का तथा विवरण का भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने आप क्रेतापक्ष को कुल रूपये 10,75,000/- (अक्षरी रूपये दस लाख पिछोत्तर हजार मात्र) में विक्रय कर दिया होकर विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि रूपये 10,75,000/- (अक्षरी रूपये दस लाख पिछोत्तर हजार मात्र) विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से निम्नानुसार प्राप्त कर ली है:-


रूपये 5,37,500/- (अक्षरी रूपये पाँच लाख सैतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) चेक क्रमांक 001160 आईसीआईसीआई बैंक के जरिये विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त किये।

रूपये 5,37,500/- (अक्षरी रूपये पाँच लाख सैतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) चेक क्रमांक 001161 आईसीआईसीआई बैंक के जरिये विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त किये।

कुल रूपये 10,75,000/-

उपरोक्तानुसार प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष से प्राप्त कर ली है। जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति विक्रेतापक्ष इस लेख के जरिये क्रेतापक्ष को प्रदान करते हैं। वक्त रजिस्ट्री के श्रीमान उप-पंजीयक महोदय के समक्ष कुछ भी एक पैसा तक लेना शेष नहीं रहा है।

(6) यह कि, उपरोक्त वर्णन तथा चतुर्सीमा के मध्य की सदर सम्पत्ति को आगे से पीछे तक विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को विक्रय किया है। इस पंजीयन के पूर्व क्रेतापक्ष ने व्यक्तिगत रूप से मौके पर जाकर बिक्रीत भूखण्ड के सीमांकन के संबंध में संतुष्टि कर ली है व खाली हालत में मुर्तिमंत आधिपत्य, कब्जा सर्वविदित रूप से





Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सुपुर्द कर दिया है। कब्जा मिलना क्रेतापक्ष को स्वीकार है और आज दिन से अपने भूखण्ड की पूर्ण सुरक्षा क्रेतापक्ष स्वयं करेगे। विक्रेतापक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।


(7) यह कि, सदर भूखण्ड विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को विक्रय कर दिया होने से अब क्रेतापक्ष ग्राम पंचायत या डायवर्शन विभाग (रेवेन्यू विभाग) में अपना नाम अंकित कर सकेंगे तथा वहां के जो भी कर (टेक्स) अथवा अन्य जो भी राशि देय होगी, वह विक्रय-पत्र पंजीयन के पश्चात् क्रेतापक्ष को ही देना होगा। विक्रय पत्र पंजीयन से पूर्व के समस्त कर, टेक्स विक्रेतापक्ष द्वारा जमा किये जावेगे। भविष्य में भी विक्रेतापक्ष के हस्ताक्षर की यदि आवश्यकता हुई तो विक्रेतापक्ष पूर्ण सहयोग करेगे। विक्रेतापक्ष ने सम्पूर्ण कालोनी का चालू वर्ष का डायवर्शन टेक्स व पंचायत उपकर जमा कराया हुआ है जो कि भविष्य में प्रत्येक भूखण्ड का भूखण्ड धारक द्वारा स्वयं जमा किया जाता रहेगा।

(8) यह कि, सदर भूखण्ड के संबंध में विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या संस्था से कोई व्यवहार जैसे गिरवी, बिक्री, लीज, दान नहीं किया है एवं उस पर कोई भार या स्वत्व न होकर पूर्णरूपेण भार, मुक्त है तथा उक्त भूखण्ड क्रेता को भूमि स्वामी हक सहित अन्तरित किया है। बिक्रीत भूखण्ड को अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर के कार्यालय में बंधक रखा हुआ भी नहीं है। हर प्रकार से विक्रय योग्य है। उक्त भूखण्ड में से अन्य किसी का कोई रास्ता या ईसमें राईट नहीं है।

(9) यह कि, कालोनी के सभी भूखण्ड धारकों द्वारा मेन्टेनेन्स समिति बनाकर कालोनी का मेन्टेनेन्स किया जायेगा। कालोनी के मेन्टेनेन्स हेतु विक्रेतापक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा। क्रेतापक्ष भूखण्ड धारक को मेन्टेनेन्स समिति का सदस्य बनना अनिवार्य होगा और प्रतिवर्ष का मेन्टेनेन्स सोसायटी द्वारा जो निर्धारित किया जायेगा, उसे जमा करना भूखण्ड धारक के लिये आवश्यक होगा। मेन्टेनेन्स राशि समय-समय पर पुनः निर्धारित की जा सकेगी, यदि मेन्टेनेन्स सोसायटी द्वारा सामुहिक उपयोग के लिये उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं पर व्यय किया जाता है तो ऐसे व्यय को भी क्रेतापक्ष से लेने का अधिकार मेन्टेनेन्स सोसायटी को रहेगा। मेन्टेनेन्स सोसायटी के सभी नियम व शर्तें क्रेतापक्ष को मान्य होगी।

(10) यह कि, क्रेतापक्ष सदस्य द्वारा कालोनी में अपने भूखण्ड पर भवन का निर्माण म.प्र. शासन द्वारा लागू किये गये कानून व नियमों के अनुसार ही किया जायेगा। प्रत्येक भूखण्ड धारक को अपने भवन निर्माण के साथ भवन के सामने की ओर भूखण्ड के अंदर बगीचा लगाना व उसमें पैड़ लगाना भी आवश्यक होगा। भवन में पास नक्शे अनुसार खुला पैसेज (एम.ओ.एस.) छोड़ना भी आवश्यक रहेगा।

(11) यह कि, क्रेतापक्ष द्वारा अपने भवन निर्माण के पूर्व ग्राम पंचायत व अन्य शासकीय विभाग से स्वयं के व्यय से नक्शा स्वीकृत करवाकर भवन निर्माण करवाया जायेगा। विक्रेतापक्ष द्वारा कालोनी में पानी सप्लाय हेतु बोरिंग करवाया है, जिससे सभी भूखण्ड धारक समान रूप से पानी प्राप्त करेंगे। विक्रेतापक्ष के पास उक्त बोरिंग के अलावा पेयजल का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है, यह बात क्रेतापक्ष ने भलीभांति समझ ली है व व मान्य की है। भविष्य में यदि वर्षा कम हुई या कोई प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा तो विक्रेतापक्ष के विरुद्ध क्रेतापक्ष पानी की समस्या के लिये कोई दावा, झगड़ा, शिकायत नहीं करेंगे।





Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

(12) यह कि, क्रेतापक्ष स्वयं के व्यय से सदर भूखण्ड को अपने नाम पर नामान्तरण करवायी गयी पर्यायत व मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जो भी टैक्स व उपकर लगाये जायेंगे अथवा वृद्धि की जायेगी उसे जमा करने का उत्तरदायित्व क्रेतापक्ष का रहेगा।

(13) यह कि, क्रेतापक्ष अपने भूखण्ड के सामने स्थित कालोनी की सड़क या अन्य खुला जगह पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। कालोनी में साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखेंगे और किसी भी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लड़ाई, झगड़ा, विवाद नहीं करेंगे, एक शांतिप्रिय नागरिक के रूप में निवास करेंगे। सदर सम्पत्ति आवासीय प्रयोजन की है। जिसका व्यावसायिक उपयोग वर्जित रहेगा। क्रेतापक्ष सदर सम्पत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कालोनी की शोभा को क्षति पहुंचती हो। सदर सम्पत्ति के संबंध में विक्रय विलेख पंजीयन के पश्चात् विक्रेतापक्ष का कोई उत्तरदायित्व सदर सम्पत्ति की सरचना के संबंध में नहीं रहेगा।

(14) यह कि, क्रेतापक्ष ने आवश्यक दस्तावेजों एवं मानचित्रों का अवलोकन स्वस्थ मनोस्थिति में कर लिया है तथा संबंधित अनुमतियों के अवलोकन के पश्चात् स्वयं के उत्तरदायित्व पर सदर सम्पत्ति क्रय की है। विक्रेतापक्ष द्वारा कालोनी के विकास से संबंधित शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों से प्राप्त आदेशों अनुमतियों, निर्देशों आदि को क्रेतापक्ष ने भलीभांती पढ़कर समझ लिया होकर वे क्रेतापक्ष को मान्य हैं। क्रेतापक्ष, विक्रेतापक्ष द्वारा किये गये विकास कार्य व सभी विधिक दस्तावेजों की कार्यवाही से पूर्णतः संतुष्ट होकर भविष्य में इस संबंध में कोई विवाद आदि नहीं करेंगे।

(15) यह कि, उक्त कालोनी के डेवलपमेंट के रखरखाव, मेंटेनेंस की जवाबदारी कालोनी की मेंटेनेंस कमेटी व भूखण्ड धारक की रहेगी। क्रेतापक्ष सदर क्रयशुदा सदर सम्पत्ति में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कि अन्य रहवासियों को रहने में परेशानी या न्यूसेंस हो। क्रेतापक्ष के द्वारा क्रय किये गए भूखण्ड को खण्डों में (अलग-अलग भागों में) विभाजित नहीं किया जावेगा तथा क्रेतापक्ष द्वारा सदर भूखण्ड विक्रय किये जाने या अन्तरण किये जाने की स्थिति में अन्तरण गृहिता (सम्भावित क्रेता) पर भी इस विक्रयपत्र की इसी शर्ते व कालोनी मेन्टेनेंस सोसायटी के सभी नियम समान रूप से बंधनकारक रहेंगे, लागू व मान्य रहेंगे। इस विक्रयपत्र पंजीयन का व्यय क्रेतापक्ष ने वहन किया है।

(16) यह कि, क्रेतापक्ष द्वारा भविष्य में पानी की सुविधा हेतु भूमिगत जल स्रोतों बाबद राज्य शासन द्वारा चलाई गई रिचार्जिंग योजना अनुसार अनुसरण कर उसे भूखण्ड पर रिचार्ज बाबद निर्माण/कार्य किया जावेगा।

(17) यह कि, क्रेतापक्ष द्वारा सदर संपत्ति को विक्रय करने से पूर्व कंपनी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा तत्पश्चात ही क्रेतापक्ष द्वारा अन्य को भूखण्ड का विक्रय किया जावेगा तथा निर्धारित व्यवस्था शुल्क जमा कर रसीद एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिये जाने की दृष्टि में विक्रय व्यवहार अवैध माना जाकर शून्य हो जावेगा। क्रेतापक्ष अथवा इनके द्वारा इस भूखण्ड को समय-समय पर धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर भी यह शर्त लागू रहेगी। सदर भूखण्ड आवासीय उपयोग का है, इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर नए क्रेतापक्ष को सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित किया जावेगा व इस संबंध में कोई शिकायत लिटिगेशन ऐसे चूककर्ता के हर्जे व खर्चे पर होगा। यह शर्त मूल क्रेतापक्ष एवं उनके ‘उत्तरानवर्तीय क्रेता’ पर बंधनकारक होगी।



Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh



(18) यह कि, क्रेतापक्ष द्वारा उक्त क्रयशुदा सदर सम्पत्ति में अवैध एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, का संचालन नहीं किया जावेगा, गैर आवासीय उद्देश्य के लिये सदर सम्पत्ति का उपयोग कराई नहीं किया जावेगा, तथा क्रेतापक्ष सदर सम्पत्ति में अवैध विस्फोट एवं दुर्घायुक्त पदार्थ नहीं रख सकेंगे। क्रेतापक्ष या उनके उत्तरानुवर्तीय को अपने भूखण्ड पर किसी प्रकार का अवैध संग्रहण, गैर कानूनी व्यापार, किसी उद्योग आदि की स्थापना नहीं करेंगे। सदर सम्पत्ति में ऐसा काई कार्य नहीं किया जावेगा जिससे कि अन्य रहवासीयों को रहने में परेशानी या न्यूसेंस हो तथा क्रेतापक्ष द्वारा निर्धारित भूखण्ड पर ही अनुमति प्राप्त करने के पश्चात विकास कार्य किया जायेगा तथा निर्मित होने वाले भवन की छत को सामने की ओर गेलरी के रूप में हेंगिंग नहीं कर सकेंगे तथा विक्रय की गई सम्पत्ति पर बहुमंजिला भवन नहीं बना सकेंगे।

(19) यह कि, क्रेतापक्ष द्वारा कालोनी में अपने भूखण्ड पर आवासीय भवन का निर्माण म.प्र. शासन द्वारा लागू किये गये कानून व नियमों के अनुसार ही किया जावेगा। किसी भी क्रेता द्वारा भूखण्ड पर म.प्र. प्रकोष्ठ अधिनियम के अंतर्गत स्वयं के उपयोग के अलावा कोई बहुमंजिला भवन (मल्टीस्टोरी) का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। क्रेतापक्ष पर यह बंधन रहेगा कि क्रय किये गये भूखण्ड पर होने वाले भवन निर्माण में किसी भी स्थिति में दुकान, गोडाउन, ऑफिस, होस्टल आदि व्यावसायिक उपयोग का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार किसी भी भूखण्ड का विभाजन अथवा एक से अधिक इकाईयों का निर्माण भी नहीं कर सकेंगे। यदि क्रेतापक्ष ने इन शर्तों का उल्लंघन करते हुए इस प्रकार का निर्माण करने का प्रयास किया तो विक्रेतापक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि को उसे तत्काल प्रभाव से रोकने का अधिकार रहेगा। क्रेतापक्ष के द्वारा नहीं मानने की स्थिति में विक्रेतापक्ष/सोसाइटी/रहवासी संघ को व्यवहार न्यायालय से एक पक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त कर लेने का तत्काल प्रभाव से अधिकार रहेगा।

(20) यह कि, इस विक्रयपत्र के किसी भी चरण बाबट विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष के मध्य समस्त विवाद योग्य आबिट्रिटर के माध्यम से निराकृत किए जाएंगे। क्रेतापक्ष अथवा उसके अधिन कोई व्यक्ति डायरेक्ट किसी भी सक्षत न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर करने से सदैव प्रतिबंधित रहेंगे।
(21) यह कि, सदर कालोनी में भविष्य में यदि कोमन उपयोग की एमिनिटीज आदि में कोई टूट-फूट या बिखराव होता है जिसके फलस्वरूप उसे रिपेयर करना अथवा बदलवाना आवश्यक हुआ तो ऐसी दशा में समस्त प्लाट होल्डर अनुपातिक रूप से अतिरिक्त खर्च को वहन करेंगे।

(22) हम इस विक्रय-विलेख के निष्पादकगण शपथपूर्वक कथन करते हैं कि इस विलेख के अंतर्गत अंतरित की जा रही/समाविष्ट सम्पत्ति को हमने या हमारे प्रतिनिधि या समनुदेशिती या हमारे अधिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा किसी अन्य के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा या अन्य प्रकार से पूर्व में हस्तांतरित नहीं किया गया है और तद्दुसार हम उपर्युक्त पैरा में कथित तथ्य का अपनी जानकारी एवं विश्वास से सही है, एवं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में धारा 22 के अंतः स्थापित भाग-3 का उल्लंघन नहीं है, सत्यापित करते हैं।

(23) यह कि, विक्रेता ओयस्टर बिल्डिंग इंडिया प्रा.लि. द्वारा बोर्ड मिटिंग दिनांक 04/07/2022 को पारित रिजालूशन द्वारा श्री योगेश गढवाल पिता स्व. श्री गुलाब सिंह गढवाल को सदर विक्रयपत्र के निष्पादन व पंजीयन करने हेतु अधिकृत किया होकर इन्होंने विक्रेता कंपनी की ओर से यह विक्रय विलेख अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर पंजीयत कराया है।







Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

संबोधन विक्रेतापक्ष एवं क्रेतापक्ष में एतद द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, दायित्वधारी, स्वत्वगृहीता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समनुदेषित, असाईनी, नामिनी, स्थानापन्न स्वत्वार्पण प्राप्त कर्तागण, प्रबन्धक, व्यवस्था कर्तागण एवं वैध प्रतिनिधि आदि का समावेश है और यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्तें उन पर भी समान रूप से बंधनकारी रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेंगे।

उपरोक्तानुसार उक्त विक्रीत भूखण्ड के विक्रय लेख का निष्पादन क्रेतापक्ष की पूर्ण सहमति से उनके हित में विक्रेतापक्ष ने निम्न साक्षीणों के समक्ष आज दिनांक को अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया है, सो सनद रहे एवं आवश्यकतानुसार काम आवें। क्रेतापक्ष ने भी इस विक्रयपत्र में लिखी सभी बातों व शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर, सुनकर, सही लिखा होना स्वीकार करके बगैर किसी दबाव के, स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर किये हैं। गवाहों ने निष्पादन के समय निष्पादकगण के समक्ष निष्पादन की गवाह की है।
इति, इन्दौरा।

-----Please turn over/क्रप्या पृष्ठ पलटिये।-----






REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT, MADHYA PRADESH | REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS
 REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS
 REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS
 REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS
 REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS
 REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS
 REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STAMPS

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	1797202308349382
संपत्ति का प्रकार	भूखण्ड
संपत्ति का सीमा चिन्ह :	--
संपत्ति का पता : ग्राम बिहाड़िया तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.) के अन्तर्गत "ग्रीन फील्ड टाउन (GREEN FIELD TOWN)" में स्थित भूखण्ड क्रमांक 05 जिसका कुल क्षेत्रफल 148 वर्गमीटर याने 1593 वर्गफीट है।	
विकास खण्ड (विकास खंड) :	--
राजस्व निरीक्षक वृत्त :	--
ले आउट का विवरण :	--
नजूल / शीट क्रमांक :	--
भूखण्ड क्रमांक :	--

जिला	इंदौर
तहसील	इंदौर
क्षेत्र प्रकार	ग्राम - क्षेत्र
उप क्षेत्र प्रकार : नान प्लानिंग क्षेत्र	
पटवारी हल्का / गांव : पटवारी हल्का 62	
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी : ग्रीन फील्ड टाउन (बिहाड़िया)	
भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	148
कुल क्षेत्रफल में से आवासीय क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	148
कुल क्षेत्रफल में से व्यावसायिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल में से औद्योगिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
कुल क्षेत्रफल में से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित शैक्षिक इकाईयों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
यथा ले आउट टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया	--
कुल क्षेत्रफल में से नगर और ग्राम निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सेवायों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--
यथा ले आउट टाउन एण्ड कंट्रीप्लानिंग द्वारा पारित किया गया है?	--
कुल क्षेत्रफल में से अन्य उपयोग का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	--





Registration and Stamp Department

Registration and Stamp Department

Madhya Pradesh

क्या भूखण्ड केवल आवासीय सह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है

नहीं

प्रॉपर्टी पर लागू उपबंध

क्या आपका भूखण्ड कार्नर पर स्थित है - हाँ

कुल मुद्रांक एवं हूट			
हूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	हूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	69853.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	32235.0
प्रतिफल राशि (रु)		1075000	

